न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी—श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

| मुकदमा नम्बर | तारीख रजू | तारीख निर्णय |
|---|---|---|
| 95/2024 | 24.7.2024 | 30/7/2025 |

1. कौसर निशात पत्नी स्वर्गीय अब्दुल सलाम निवासी गंगापुर सिटी
   हाल निवासी 915 रामनगर, शास्त्री नगर, जयपुर 302016
2. बीनिश खान पुत्री स्वर्गीय अब्दुल सलाम निवासी गंगापुर सिटी
   हाल निवासी 915 रामनगर, शास्त्री नगर, जयपुर 302016
3. दावर सलाम खान पुत्र स्वर्गीय अब्दुल सलाम निवासी गंगापुर सिटी
   हाल निवासी 915 रामनगर, शास्त्री नगर, जयपुर 302016

—वादीगण

बनाम

लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी —प्रतिवादी

दावा बाबत् घोषणां खातेदारी
दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :—श्री हर्षवर्धन शर्मा, एडवोकेट, वादीगण की ओर से
लैण्ड होल्डर गंगापुर सिटी

निर्णय

उपरोक्त उनवानी वादपत्र वादीगण ने इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम हिंगोट्या तहसील गंगापुर सिटी स्थित सिवायचक भूमि साबिक खसरा नम्बर 44 के बटा नम्बर 44/3 रकबा 5 बीघा के वादीगण काबिज खातेदार काश्तकार हैं। यह भूमि दिनांक 9.11.1975 को सब डिविजनल आफिसर गंगापुर सिटी ने नियमानुसार वादीगण के पति, पिता अब्दुल सलाम पुत्र कमालुददीन को अलाटमेन्ट की है तथा दिनांक 9.11.1975 को पटवारी हल्का ने नियमानुसार वादीगण को कब्जा दिया है तथा नामान्तरकरण संख्या 100 दिनांक 19.3.1976 को वादीगण के पति, पिता अब्दुल सलाम के नाम नियमानुसार खुला है। अब्दुल सलाम की दिनांक 12.8.2020 को मृत्यु हो चुकी है। अब्दुल सलाम की वादिया संख्या 1 पत्नी है तथा वादी संख्या 2 व 3 पुत्री, पुत्र हैं। वादीगण भूमि के खातेदार काश्तकार हैं। नामान्तरकरण, पट्टा, कब्जा देने, लेने की रिपोर्ट, आवंटन हेतु आवेदन पत्र, पटवारी रिपोर्ट एवं सब डिविजनल आफिसर गंगापुर सिटी का आवंटन आदेश सेटिलमेंट कार्यवाही आदि की सत्य प्रतिलिपि दावे के साथ संलग्न है। वादीगण अपने पति, पिता अब्दुल सलाम के साथ एवं उनकी मृत्यु होने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.05 10:45:38 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

वाद भूमि के पिछले करीब 40 वर्ष से काबिज खातेदार काश्तकार हैं। उसी दौरान भू–प्रबन्ध विभाग की कार्यवाही चली और सेटलमेंट विभाग ने साबिक खसरा नम्बर 44 के नये खसरा नम्बर 82 कायम किए परन्तु बिना किसी अधिकार के विधि विरूद्ध तरीके से सिवायचक भूमि को चारागाह दर्ज कर दिया। वादीगण के पति, पिता को जो भूमि आवंटित हुई है एवं कब्जा संभलाया है वह हाल खसरा नम्बर 82 के पूर्वी उत्तरी तरफ 5 बीघा भूमि है जिस पर वादीगण पिछले 40 वर्ष से काबिज हैं तथा भूमि के काबिज खातेदार काश्तकार हैं। सेटलमेंट अधिकारियों को भूमि की किस्म सिवायचक से चारागाह में परिवर्तित करने का कोई अधिकार नहीं था। सेटलमेंट विभाग द्वारा की गई कार्यवाही विरूद्ध कानूनन शून्य व प्रभावहीन है। दिनांक 14.8.2023 को वादीगण अपने उक्त खेत की सफाई कर रहे थे तब हल्का पटवारी ने कहा कि यह भूमि चारागाह भूमि दर्ज है, इसे काश्त नहीं करने को कहा। इसके पश्चात् वादीगण ने रेवेन्यु रिकार्ड की सत्य प्रतिलिपि प्राप्त की तब सेटलमेंट विभाग रेवेन्यु अधिकारियों द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से की गई कार्यवाही की जानकारी हुई। उक्त विधि विरूद्ध कार्यवाही के कारण वादीगण के भूमि में उसके अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। वादीगण को अतुलनीय हानि हो रही है। सेटलमेंट विभाग रेवेन्यु अधिकारियों द्वारा बिना किसी अधिकार के विधि विरूद्ध तरीके से की गई कार्यवाही शून्य व प्रभावहीन घोषित किया जाना एवं वादीगण के नाम 5 बीघा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना आवश्यक है जिसके लिए यह दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। तहसीलदार गंगापुर सिटी को लैण्ड होल्डर के नाते पक्षकार बनाया गया है। वादकारण विरूद्ध प्रतिवादी सेटलमेंट विभाग, रेवेन्यू कर्मचारियों द्वारा विधि विरूद्ध कार्यवाही करने एवं दिनांक 14.8.2023 को धमकी देने से उत्पन्न हुआ। दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 207, 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत तीन रूपए न्याय शुल्क पर प्रस्तुत किया जाता है। भूमि की स्थिति, वादकारण उत्पन्न होने के स्थान, वाद की प्रकृति के अनुसार प्रस्तुत न्यायालय को दावा सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। अतः दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री फरमाया जाकर घोषणां इस आशय की प्रदान की जावे कि वादीगण ग्राम डिंगोटया तहसील गंगापुर सिटी स्थित साबिक भूमि खसरा नम्बर 44 के बटा नम्बर 44/3 [illegible] बीघा जिसका हाल खसरा नम्बर 82 में से पूर्वी उत्तरी [illegible] भूमि के काबिज खातेदार काश्तकार हैं तथा [illegible] 82 में से पूर्वी उत्तरी दिशा की ओर की 1.25 है0 भूमि के काबिज [illegible]दार काश्तकार हैं तथा हाल खसरा नम्बर 82 में से पूर्वी उत्तरी दिशा तरफ की ओर 1.25 है0 भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.05 10:25:38 IST
Reason: SelfAttested

[signature]
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराकर रेवेन्यु रिकार्ड में दुरूस्ती कराने के अधिकारी है। प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह उक्त भूमि में वादीगण के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में दखल नहीं दे। अन्य न्यायोचित प्रतिकार जो माननीय न्यायालय उचित समझे बहक वादीगण प्रदान फरमावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया ।

प्रस्तुत वाद में लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा जबाव प्रस्तुत किया गया। जबाव दावे में लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ने अंकित किया है कि ग्राम हिंगोटिया तहसील गंगापुर सिटी की सम्वत् 2003 की खतौनी बंदोवस्त के अनुसार खाता संख्या 34 खसरा नम्बर 111 रकबा 13 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 112 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 120 रकबा 11 बीघा 8 बिस्वा चारागाह दर्ज रिकार्ड है। सम्वत् 2019 की खतौनी जिम्मन नम्बर 4 खाता संख्या 160 में खसरा संख्या 44 का रकबा 27 बीघा 8 बिस्वा चारागाह दर्ज रिकार्ड है। एकीकरण मिलान क्षेत्रफल के अनुसार खसरा नम्बर 44, खसरा नम्बर 111 रकबा 13 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 117/1/2 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 121 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 117/2/2 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 120 मिन रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा कुल रकबा 27 बीघा 8 बीघा किस्म चारागाह से बना है। नामान्तरकरण संख्या 82 दिनांक 21.10.1975 ( सेटलमेंट से पूर्व ) पर श्रीमान् जिलाधीश महोदय के आदेशानुसार खसरा नम्बर 44 रकबा 27 बीघा 8 बिस्वा भूमि किस्म चारागाह से सिवायचक दर्ज किया गया। दिनांक 21.10.1975 को जिलाधीश सवाईमाधोपुर के आदेशानुसार नामान्तरकरण संख्या 82 स्वीकार किया गया। ग्राम हिंगोटिया तहसील गंगापुर सिटी खसरा नम्बर 44 रकबा 27 बीघा 8 बिस्वा में से बटा नम्बर 44/3 रकबा 5 बीघा किस्म सिवायचक का आवंटन अब्दुल सलाम पुत्र कमालुद्दीन जाति मुसलमान के नाम ( सेटिलमेंट से पूर्व ) नामान्तरकरण संख्या 100 स्वीकार किया गया। सेटिलमेंट की कार्यवाही के पश्चात् खसरा संख्या 44 के नवीन नम्बर 82 रकबा 3.03 है० किस्म चारागाह भूमि बने हैं। वर्तमान में भूमि खसरा नम्बर 82 रकबा 3.03 है० किस्म चारागाह भूमि है। अतः लैण्ड होल्डर की ओर से जबाव दावा प्रस्तुत है।

वादपत्र एवं जबाव वादपत्र के आधार पर न्यायालय ने दिनांक 15.1.2025 को निम्न तनकी कायम की गई :-

1. आया भूमि साबिक ख0नं0 44 ग्राम हिंगोटिया में से अब्दुल सलाम पुत्र कमालुद्दीन को दिनांक 9.11.1975 को 5 बीघा भूमि आवंटित हुई थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.05 10:25:38 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

जिसका खसरा नम्बर 44/3 रकबा 5 बीघा कायम किया जाकर भूमि का कब्जा अब्दुल सलाम को दे दिया गया था एवं इसका गैरखातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 100 दिनांक 19.3.1976 को अब्दुल सलाम के नाम दर्ज कर दिया गया। आवंटन के समय से ही अब्दुल सलाम इस भूमि पर काबिज काश्त रहा है।
—वादीगण

2. आया भू–प्रबन्ध के दौरान साबिक ख0नं0 44 का नवीन ख0नं0 82 रकबा 3.03 है0 कायम किया गया है एवं इसकी किस्म चारागाह दर्ज कर दी गई है।
—वादीगण

3. आया हाल भूमि ख0नं0 82 रकबा 3.03 है0 ग्राम हिंगोटया में अब्दुल सलाम का निरन्तर कब्जा चला आ रहा है एवं दिनांक 12.8.2020 को अब्दुल सलाम की मृत्यु के बाद बतौर वारिसान वादीगण का भूमि ख0नं0 82 रकबा 3.03 है0 में पूर्वी उत्तरी दिशा की ओर की 1.25 है0 भूमि पर कब्जा चला आ रहा है।
—वादीगण

4. आया भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा अब्दुल सलाम को आवंटित उपरोक्त 5 बीघा भूमि को भू–प्रबन्ध के दौरान गलत रूप से ख0नं0 82 रकबा 3.03 है0 में शामिल कर चारागाह दर्ज कर दिया है इसलिए अब्दुल सलाम के वारिस होने के नाते वादीगण भूमि ख0नं0 82 रकबा 3.03 है0 ग्राम हिंगोट्या में उनके कब्जे की पूर्वी उत्तरी दिशा की ओर की 1.25 है0 भूमि की खातेदारी घोषणां अपने नाम करवाने व राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती करवाने व प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने के अधिकारी हैं।
—वादीगण

5. अनुतोष ।

वादपत्र के समर्थन में वादीगण ने नकल भूमि आवंटन आदेश दिनांक 9.11.1975 भूमि आवंटन ग्राम हिंगोटया खसरा नम्बर 44/3 रकबा 5 बीघा बहक अब्दुल सलाम पुत्र कमालुद्दीन, मुसलमान निवासी गंगापुर प्रदर्श–1, नकल भूमि आवंटन प्रार्थना पत्र अब्दुल सलाम पुत्र कमालुद्दीन, मुसलमान निवासी हिंगोटया बाबत् भूमि खसरा नम्बर 44/3 रकबा 5 बीघा मय रिपोर्ट पटवारी , कब्जा रिपोर्ट प्रदर्श–2, नकल सिफारिश भूमि आवंटन सलाहकार समिति बाबत् भूमि आवंटन बहक अब्दुल सलाम पुत्र कमालुद्दीन, मुसलमान निवासी गंगापुर बाबत् खसरा नम्बर 44/[illegible] 5 बीघा ग्राम हिंगोटया मय भूमि आवंटन आदेश सब डिवीजनल ऑफिसर [illegible] नकल नामान्तरकरण संख्या 100 दिनांक 19.3.[illegible] प्रदर्श–4, नकल खतौनी जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग सम्वत् 2039 ख[illegible] संख्या 257 प्रदर्श–5, नकल मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबन्ध प्रदर्श–6, नकल जमाबंदी सं0 2071 से 2074 ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.05 10:25:38 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स0मा0)

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

हिंगोटया खाता संख्या 398 प्रदर्श–7, नकल जमाबंदी सं0 2071 से 2074 ग्राम हिंगोटया खाता संख्या 398 प्रदर्श–8, नकल हाल नक्शा ट्रेस सम्वत् 2033–34 ग्राम हिंगोटया प्रदर्श–9, नकल साबिक नक्शा ट्रेस सन् 1962 ग्राम हिंगोटया प्रदर्श–10, नकल खसरा पत्रक भू–प्रबन्ध विभाग सम्वत् 2034–35 प्रदर्श–11 प्रस्तुत किए हैं एवं बयान वादी कौसर निशात पी0डब्लू0–1, बयान गवाह बाबूलाल पुत्र सोहनलाल जाति रैगर निवासी मिर्जापुर ढाणी हिंगोट्या पी0डब्लू0–2, बयान गवाह रूकमणी देवी पत्नी बत्तूलाल जाति गुर्जर निवासी हिंगोट्या पी0डब्लू0–3 कराए हैं। इनके अतिरिक्त फोटोकोपी मृत्यु प्रमाण पत्र अब्दुल सलाम खान पुत्र कमालुद्दीन खान मृत्यु दिनांक 12.8.2020, फोटोकोपी आधारकार्ड वादी कौसर निशात, फोटोकोपी आधारकार्ड वादी बीनिश खान, फोटोकोपी आधारकार्ड वादी दावर सलाम भी प्रस्तुत किए हैं।

प्रतिवादी लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ने अपने जवाब दावे के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं एवं कोई मौखिक साक्ष्य भी नहीं कराई है।

वादपत्र पर विद्धान अभिभाषक वादीगण एवं लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी के प्रतिनिधि की बहस सुनी गई।

वादीगण के विद्धान अभिभाषक ने अपने वाद पत्र के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि वादीगण के पति, पिता स्व0 अब्दुल सलाम को ग्राम हिंगोटया में दिनांक 9.11.1975 को 5 बीघा भूमि आवंटित की गई थी जिसका खसरा नम्बर 44/3 रकबा 5 बीघा कायम हुआ एवं पटवारी हलका द्वारा वादीगण के पति, पिता अब्दुल सलाम को इस 5 बीघा भूमि का दिनांक 9.11.1975 को कब्जा संभलाया गया। इसके बाद नामान्तरकरण संख्या 100 दिनांक 19.3.1976 द्वारा यह भूमि वादीगण के पति, पिता अब्दुल सलाम के नाम गैरखातेदारी में दर्ज की गई। वादीगण के पति, पिता अब्दुल सलाम को भूमि आवंटन के समय आवंटित भूमि सिवायचक रही है एवं सिवायचक भूमि ही वादीगण के पति, पिता अब्दुल सलाम को आवंटित की गई है। वादीगण के पति, पिता अब्दुल सलाम के नाम हुए इस भूमि आवंटन के समय तहसील गंगापुर सिटी में भू–प्रबन्ध का कार्य चल रहा था। भू–प्रबन्ध के दौरान वादीगण के पति, पिता अब्दुल सलाम को आवंटित भूमि ख0नं0 44/3 का पृथक से कोई नम्बर नहीं बनाया गया है बल्कि मूल खसरा नम्बर 44 का नवीन खसरा नम्बर 82 रकबा 3.03 हैक्टर [illegible] बनाकर इसको चारागाह के रूप में दर्ज कर दिया गया है। इस प्रकार [illegible] विभाग द्वारा वादीगण के पति, पिता अब्दुल सलाम को आवंटित भूमि जो कि सिवायचक रही है, को गलत रूप से चारागाह दर्ज कर दिया गया है एवं वादीगण के पति, पिता

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.05 10:25:38 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

अब्दुल सलाम को आवंटित भूमि का पृथक से नवीन खसरा नम्बर नहीं बनाया जाकर वादीगण के पति, पिता अब्दुल सलाम को आवंटित भूमि को वर्तमान खसरा नम्बर 82 में शामिल कर दिया गया है एवं भूमि की किस्म सिवायचक से चारागाह दर्ज कर दी गई है जो गलत है। भू-प्रबन्ध विभाग को वादीगण के पति, पिता अब्दुल सलाम के नाम आवंटित गैरखातेदारी की भूमि की किस्म परिवर्तन करने का एवं भूमि को राजस्थान सरकार के नाम दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि भू-प्रबन्ध विभाग पूर्वानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रविष्टियां दोहराने का ही अधिकार रखता है। भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई यह कार्यवाही पूर्णतया विधि विरूद्ध है एवं कानून की नजर में शून्य व प्रभावहीन है। वादीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में आगे कहा कि इस सम्बन्ध में विभिन्न अपीलीय न्यायालयों द्वारा निर्णय दिए गए हैं तथा वादीगण के विद्वान अभिभाषक ने इस सम्बन्ध में न्याय दृष्टान्त आर0आर0टी0 सप्लीमेंटरी 2016-17 पृष्ठ 74, आर0आर0टी0 2022(2) पृष्ठ 892, आर0आर0टी0 2024(2) पृष्ठ 1296, आर0आर0टी0 2023(1) पृष्ठ 44 प्रस्तुत किए हैं। वादीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में आगे कहा कि भूमि हाल खसरा नम्बर 82 के पूर्वी उत्तरी तरफ 5 बीघा भूमि यानि 1.25 हैक्टर भूमि ग्राम हिंगोट्या पर वादीगण का पिछले 49 वर्ष से कब्जा काश्त है, वादीगण के कब्जे की यह भूमि पूर्व में वादीगण के पति, पिता की आवंटनशुदा गैरखातेदारी की भूमि रही है जिस पर पहले वादीगण के पति, पिता अब्दुल सलाम का एवं उनकी मृत्यु के पश्चात् वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। इसलिए वादीगण के पति, पिता की आवंटनशुदा इस 5 बीघा भूमि को जिसे भू-प्रबन्ध विभाग ने विधि विरूद्ध तरीके से हाल खसरा नम्बर 82 रकबा 3.03 है0 में शामिल कर चारागाह के रूप में दर्ज कर दिया है, में से 1.25 है0 भूमि को वादीगण की खातेदारी में दर्ज की जाकर इसी अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती की जावे एवं प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह उपरोक्त वर्णित 1.25 है0 भूमि के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में वादीगण को किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे न ही अपने कार्मिकों से करवावे। वादीगण का दावा इसी प्रकार डिक्री फरमाया जावे।

प्रतिवादी लैण्ड होल्डर के प्रति[illegible] अपनी बहस में कहा कि प्रतिवादी की ओर से जबाब [illegible] एवं वादीगण को अपना वाद प्रमाणित करना है। [illegible] भी वादीगण को ही प्रमाणित करना है। भूमि वर्तमान में चारागाह दर्ज है। [illegible]दीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.05 10:25:38 IST
Reason: Self Attested

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स०मा०)

उप जिला कले...
गंगापुर सिटी (स०मा०...)

राजकीय पक्ष को ध्यान में रखते हुए विधि अनुसार निर्णय पारित फरमाया जावे।

रिबटल में वादीगण के विद्वान अभिभाषक ने पूर्व में की गई अपनी बहस के अनुरूप वादीगण का वाद डिक्री करने का निवेदन किया है। साथ ही वादीगण के विद्वान अभिभाषक ने लिखित बहस भी प्रस्तुत की है।

लिखित बहस में वादीगण की ओर से उनके विद्वान अभिभाषक ने अंकित किया है कि वादीगण ने दिनांक 22.7.2024 को वर्तमान दावा बाबत् घोषणां, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया है कि "ग्राम हिंगोट्या तहसील गंगापुर सिटी स्थित सिवायचक भूमि साबिक खसरा नम्बर 44 के बटा नम्बर 44/3 रकबा 5 बीघा के वादीगण काबिज खातेदार काश्तकार हैं। उक्त भूमि दिनांक 9.11.1975 को सब डिविजनल आफिसर गंगापुर सिटी ने नियमानुसार वादीगण के पति, पिता अब्दुल सलाम पुत्र कमालुद्दीन को अलाटमेंट की है तथा दिनांक 9.11.1975 को पटवारी हलका ने नियमानुसार वादीगण के पति, पिता अब्दुल सलाम को कब्जा दिया है तथा नामान्तरकरण संख्या 100 दिनांक 19.3.1976 को वादीगण के पति, पिता अब्दुल सलाम के नाम नियमानुसार खुला है। वादीगण के पति, पिता अब्दुल सलाम की मृत्यु दिनांक 12.8.2020 को हो चुकी है। वादीगण भूमि के काबिज खातेदार काश्तकार हैं। नामान्तरकरण, पट्टा, कब्जा देने, लेने की रिपोर्ट, आवंटन हेतु आवेदन पत्र, पटवारी रिपोर्ट एवं सब डिविजनल आफिसर गंगापुर सिटी का आवंटन आदेश, सेटिलमेंट कार्यवाही आदि की सत्य प्रतिलिपि दावे साथ प्रस्तुत है। वादीगण पिछले 49 वर्ष से भूमि के काबिज खातेदार काश्तकार हैं। उसी दौरान भू-प्रबन्ध की कार्यवाही चली और भू-प्रबन्ध विभाग ने साबिक खसरा नम्बर 44 का नया खसरा नम्बर 82 कायम किए परन्तु बिना किसी अधिकार के विधि विरूद्ध तरीके से सिवायचक भूमि को चारागाह दर्ज कर दिया। वादीगण को जो भूमि आवंटित हुई है एवं वादीगण को कब्जा संभलाया है वह हाल खसरा नम्बर 82 के पूर्वी उत्तरी तरफ 5 बीघा भूमि है जिस पर वादीगण पिछले 49 वर्ष से काबिज है तथा भूमि के काबिज खातेदार काश्तकार हैं। सेटलमेंट अधिकारियों को भूमि की किस्म सिवायचक से चारागाह में परिवर्तित करने का कोई अधिकार नहीं था। सेटिलमेंट विभाग द्वारा की गई कार्यवाही विरूद्ध कानून शून्य व प्रभावहीन है। दिनांक 14.8.2023 को वादीगण अपने उक्त खेत की सफाई कर रहे थे तब हल्का पटवारी ने कहा कि यह भूमि चारागाह दर्ज है इसे काश्त नहीं करने को कहा। इसके बाद वादीगण ने रेवन्यू रिकार्ड की सत्यप्रतिलिपि प्राप्त की तब सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से की गई कार्यवाही

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.05 10:45:38 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स०मा०)

उप जिला क...
गंगापुर सिटी (स०...

की जानकारी हुई। उक्त विधि विरूद्ध कार्यवाही के कारण वादी के भूमि में उसके अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। वादी को अतुल्यनीय हानि हो रही है। सेटिलमेंट विभाग अधिकारियों द्वारा बिना किसी अधिकार के विधि विरूद्ध तरीके से की गई कार्यवाही शुन्य व प्रभावहीन घोषित किया जाना एवं वादीगण के नाम 5 बीघा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना आवश्यक है।

वादी ने रिलीफ चाही है कि"दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री फरमाया जाकर घोषणां इस आशय की प्रदान की जावे कि वादी ग्राम हिंगोट्या तहसील गंगापुर सिटी स्थित साबिक भूमि खसरा नम्बर 44 के बटा खसरा नम्बर 44/3 रकबा 5 बीघा जिसका हाल ख0नं0 82 में से पूर्वी उत्तर दिशा की ओर की 1.25 है0 भूमि का काबिज खातेदार काश्तकार है तथा हाल खसरा नम्बर 82 में से पूर्वी उत्तर की ओर 1.25 है0 भूमि वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराकर रेवन्यु रिकार्ड में दुरूस्ती कराने का अधिकारी है। प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे उक्त भूमि में वादी के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में दखल नहीं दे।"

प्रतिवादी लैण्ड होल्डर तहसीलदार ने अपना जबाब दावा प्रस्तुत किया है कि "ग्राम हिंगोट्या तहसील गंगापुर सिटी की सम्वत् 2003 की खतौनी बन्दोवस्त के अनुसार खाता संख्या 34 खसरा नम्बर 111 रकबा 13 बीघा 5 विस्वा, खसरा नम्बर 112 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा, खसरा नम्बर 120 रकबा 11 बीघा 8 विस्वा चारागाह दर्ज रिकार्ड है। सम्वत् 2019 की खतौनी के खाता संख्या 160 में खसरा नम्बर 44 का रकबा 27 बीघा 8 विस्वा चारागाह दर्ज है। एकीकरण मिलान क्षेत्रफल के अनुसार खसरा नम्बर 44, खसरा नम्बर 111 रकबा 13 बीघा 5 विस्वा, खसरा नम्बर 117 1/2 रकबा 1 बीघा 17 विस्वा, खसरा नम्बर 121 रकबा 1 बीघा 13 विस्वा, खसरा नम्बर 117 2/2 रकबा 18 विस्वा, खसरा नम्बर 120 मिन रकबा 8 बीघा 17 विस्वा कुल रकबा 27 बीघा 8 विस्वा किस्म चारागाह से बना है। नामान्तरकरण संख्या 82 (सेटिलमेन्ट से पूर्व) पर श्रीमान् जिलाधीश महोदय के आदेशानुसार खसरा नम्बर 44 रकबा 27 बीघा 8 विस्वा भूमि किस्म चारागाह से सिवायचक दर्ज किया गया। दिनांक 21.10.1975 को जिलाधीश सवाईमाधोपुर के आदेशानुसार नामान्तरकरण संख्या 82 स्वीकार किया गया। ग्राम हिंगोट्या तहसील गंगापुर सिटी खसरा नम्बर 44 रकबा 27 बीघा 8 बिस्वा में से बटा नम्बर 44/3 रकवा 5 बीघा किस्म सिवायचक का आवंटन [illegible] लाम पुत्र कमालुद्दीन मुसलमान खातेदार के नाम (से[illegible]) [illegible] संख्या 100 स्वीकार किया गया। सेटिलमेंट की कार्यवाही के पश्चात् खसरा नम्बर 44 का

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.05 10:25:38 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कले.
गंगापुर सिटी (स0मा)

नवीन नम्बर 82 रकबा 3.03 है0 किस्म चारागाह भूमि बने हैं। वर्तमान में भूमि खसरा नम्बर 82 रकबा 3.03 हैक्टर किस्म चारागाह भूमि है।"

प्रकरण में निम्न प्रकार तनकीयात कायम हुई हैः–

1. आया भूमि साबिक ख0नं0 44 ग्राम हिंगोट्या में से अब्दुल सलाम पुत्र कमालुद्दीन को दिनांक 9.11.1975 को 5 बीघा भूमि आवंटित हुई थी जिसका खसरा नम्बर 44/3 रकबा 5 बीघा कायम किया जाकर भूमि का कब्जा अब्दुल सलाम को दे दिया गया था एवं इसका गैरखातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 100 दिनांक 19.3.1976 को अब्दुल सलाम के नाम दर्ज कर दिया गया। आवंटन के समय से ही अब्दुल सलाम इस भूमि पर काबिज काश्त रहा है।

—वादीगण

2. आया भू–प्रबन्ध के दौरान साबिक ख0नं0 44 का नवीन ख0नं0 82 रकबा 3.03 है0 कायम किया गया है एवं इसकी किस्म चरागाह दर्ज कर दी गई है।

—वादीगण

3. आया हाल भूमि ख0नं0 82 रकबा 3.03 है0 ग्राम हिंगोटया में अब्दुल सलाम का निरन्तर कब्जा चला आ रहा है एवं दिनांक 12.8.2020 को अब्दुल सलाम की मृत्यु के बाद बतौर वारिसान वादीगण का भूमि ख0नं0 82 रकबा 3.03 है0 में पूर्वी उत्तरी दिशा की ओर की 1.25 है0 भूमि पर कब्जा चला आ रहा है।

—वादीगण

4. आया भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा अब्दुल सलाम को आवंटित उपरोक्त 5 बीघा भूमि को भू–प्रबन्ध के दौरान गलत रूप से ख0नं0 82 रकबा 3.03 है0 में शामिल कर चारागाह दर्ज कर दिया है इसलिए अब्दुल सलाम के वारिस होने के नाते वादीगण भूमि ख0नं0 82 रकबा 3.03 है0 ग्राम हिंगोट्या में उनके कब्जे की पूर्वी उत्तरी दिशा की ओर की 1.25 है0 भूमि की खातेदारी घोषणां अपने नाम करवाने व राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती करवाने व प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने के अधिकारी हैं।

—वादीगण

5. अनुतोष ।

वादीगण ने साक्ष्य में पी0डब्लू0 1 कौसर निशात के एवं पी0डब्लू0 2 बाबूलाल, पी0डब्लू0 3 रूकमणी देवी के बयान कराये हैं तथा प्रदर्श–1 उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी [illegible] दिनांक 9.11.1975, प्रदर्श–2 आवंटन आवेदन पत्र मय रिपोर्ट पटवारी [illegible] कब्जा देने की रिपोर्ट, प्रदर्श–3 आवंटन सलाहकार समिति [illegible] सब डिविजनल आफिसर के आदेश दिनांक 9.11.1975, प्रदर्श–4 नामान्तरकरण संख्या 100 जिसके द्वारा आवंटित भूमि अब्दुल सलाम के नाम दर्ज की गई, प्रदर्श–5

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.05 10:25:38 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कले.,
गंगापुर सिटी (स0मा

जमाबंदी सम्वत् 2039 भू-प्रबन्ध विभाग, प्रदर्श-6 मिलान क्षेत्रफल भू-प्रबन्ध विभाग, प्रदर्श-7, प्रदर्श-8 जमाबंदी सं0 2071 से 2074, प्रदर्श-9 रेवेन्यु ट्रेस सन् 1962, प्रदर्श-11 खसरा पत्रक भू-प्रबन्ध विभाग सम्वत् 2034 की सत्य प्रतिलिपियां पेश की है। वादी कौसर निशात, गवाह बाबूलाल, रूकमणी के आधार कार्ड की फोटोप्रति एवं फोटो पेश किए हैं। प्रतिवादी की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है।

प्रदर्श-2 आवेदन पत्र से दर्शित है कि वादी अब्दुल सलाम ने नियमानुसार भूमि आवंटन हेतु आवेदन पत्र साबिक खसरा नम्बर 44 बटा नम्बर 44/3 में 5 बीघा भूमि आवंटन बाबत् आवेदन किया है जिस पर पटवारी हल्का ने आवंटन किया जाना उचित है की रिपोर्ट की है तथा सरपंच, प्रधान, विकास अधिकारी सलाहकार समिति ने प्रदर्श-3 दस्तावेज के जरिए आवंटन किए जाने की अभिशंषा की है। जिस पर सब डिविजनल आफिसर ने दिनांक 9.11.1975 को नियमानुसार अब्दुल सलाम को ग्राम हिंगोट्या स्थित भूमि खसरा नम्बर 44/3 रकबा 5 बीघा आवंटित की है तथा पटवारी हल्का ने अलोटी अब्दुल सलाम को प्रदर्श-2 कब्जा देने की रिपोर्ट तैयार कर अलोटी को कब्जा दिया है तथा अलोटी अब्दुल सलाम ने भूमि पर कब्जा प्राप्त कर अपने हस्ताक्षर किए तथा इस आवंटन का नामान्तरकरण संख्या 100 अब्दुल सलाम के नाम खुला है। वादी पी0डब्लू0 1 कौसर निशात ने विस्तार से अपने बयान दर्ज कराए हैं। दस्तावेज प्रदर्श कराए हैं तथा गवाह पी0डब्लू0 2 बाबूलाल, पी0डब्लू0 3 रूकमणी ने अपने बयानो में बताया है कि वे पडौसी कृषक हैं तथा पिछले 49 वर्ष से अधिक समय से भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त देख रहे हैं। इस प्रकार दसतावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से प्रमाणित है कि वादीगण के पति, पिता अब्दुल सलाम को उपरोक्तानुसार नियमानुसार भूमि आवंटित हुई है जिस पर वादीगण का कब्जा है तथा वादीगण भूमि के काबिज खातेदार काश्तकार हैं। इस प्रकार तनकी संख्या 1 वादीगण के पक्ष में तय किया जाना उचित है। भू-प्रबन्ध के दौरान साबिक ख0नं0 44 के हाल खसरा नम्बर 82 बनना एवं भूमि की किस्म चारागाह दर्ज करना, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श-6, जमाबंदी प्रदर्श-5, 11 से स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है। तनकी संख्या 2 वादीगण के पक्ष में तय किया जाना न्यायोचित है। प्रदर्श-2 कब्जा रिपोर्ट, प्रदर्श-4 अब्दुल सलाम के नाम खुले नामान्तरकरण वादी के बयान, वादी द्वारा पेश दस्तावेजात एवं गवाह बाबूलाल, रूकमणी के [illegible] नक्शा ट्रेस के मिलान से साबित है कि भूमि हाल खसरा नम्बर 82 रकबा 3.03 है0 ग्राम हिंगोट्या में वादीगण का पूर्वी उत्तरी ओर की 5 बीघा भूमि पर कब्जा चला आ रहा

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.05 10:25:38 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कल...
...पुर सिटी (स०मा...

है। तनकी संख्या 3 वादीगण के पक्ष में तय किया जाना न्यायोचित है। प्रदर्श–1 लगायत प्रदर्श–4 से स्पष्ट साबित है कि अब्दुल सलाम को 5 बीघा भूमि आवंटित हुई जिस पर वादीगण काबिज हैं तथा प्रदर्श–5 लगायत प्रदर्श–11 दस्तावेजात से साबित है कि भू–प्रबन्ध विभाग ने गलत रूप से भूमि को चारागाह दर्ज किया है तथा दस्तावेज एवं वादी एवं साक्षी बाबूलाल, रूकमणी के बयान से साबित है कि वादी हाल खसरा नम्बर 44 रकबा 3.03 हैक्टर में से पूर्वी उत्तर दिशा की ओर की 1.25 है0 भूमि पर काबिज है तथा इस आशय की वादीगण घोषणां करा भूमि की खातेदारी अपने नाम लगवाने के अधिकारी हैं तथा राजस्व अभिलेख में दुरूस्ती करवाने के अधिकारी हैं। इस प्रकार तनकी संख्या 4 वादीगण के पक्ष में तय किया जाना न्यायोचित है। दावा वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। तनकीवाइज विवेचना एवं निर्णय निम्न प्रकार है–

<u>तनकी नम्बर 1 :–</u>आया भूमि साबिक ख0नं0 44 ग्राम हिंगोट्या में से अब्दुल सलाम पुत्र कमालुद्दीन को दिनांक 9.11.1975 को 5 बीघा भूमि आवंटित हुई थी जिसका खसरा नम्बर 44/3 रकबा 5 बीघा कायम किया जाकर भूमि का कब्जा अब्दुल सलाम को दे दिया गया था एवं इसका गैरखातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 100 दिनांक 19.3.1976 को अब्दुल सलाम के नाम दर्ज कर दिया गया। आवंटन के समय से ही अब्दुल सलाम इस भूमि पर काबिज काश्त रहा है। —वादीगण

इस तनकी को प्रमाणित करने का भार वादीगण पर था। वादीगण ने नकल भूमि आवंटन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की है। इस आवंटन प्रार्थना पत्र से यह प्रमाणित है कि वादीगण के पति, पिता अब्दुल सलाम पुत्र कमालुद्दीन ने ग्राम हिंगोट्या में स्थित भूमि साबिक खसरा नम्बर 44/3 रकबा 5 बीघा के आवंटन के लिए सब–डिवीजनल आफिसर गंगापुर के समक्ष दिनांक 9.11. 1975 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। इस भूमि आवंटन प्रार्थना पत्र के पृष्ठ भाग पर तत्कालीन पटवारी हल्का ने रिपोर्ट की है। रिपोर्ट में पटवारी हल्का ने अंकित किया है कि आवेदक अब्दुल सलाम पुत्र कमालुद्दीन जाति मुसलमान ग्राम गंगापुर का रहने वाला है। आवेदक का मुख्य धन्धा कृषि मजदूरी है। आवेदक की वार्षिक आमदनी 800/–रू0 है। आवेदक के नाम भूमि नहीं है। आवेदक के परिवार में 6 सदस्य ... पूर्णतया उस पर निर्भर है। आवेदक जिस खेत को चाहता ... वादीगण के पति, पिता के इस आवेदन पर भूमि आवंटन सलाहकार समिति ने सिफारिश की है जिसकी नकल प्रदर्श–3 वादीगण ने प्रस्तुत की ... भूमि आवंटन सलाहकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.05 10:25:38 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट
उप जिला क...
गंगापुर सिटी (स...

समिति ने अब्दुल सलाम पुत्र कमालुद्दीन जाति मुसलमान निवासी गंगापुर को आराजी ख0नं0 44/3 रकबा 5 बीघा वाके हिंगोट्या आवंटित करने की सिफारिश की है। इस सिफारिश पर आवंटन सलाहकार समिति के सदस्य सरपंच, विकास अधिकारी, विधायक के हस्ताक्षर हैं। इस सिफारिश के पृष्ठ भाग पर दिनांक 9.11.1975 को सब–डिवीजनल आफिसर ने आवंटन सलाहकार समिति की राय के अनुसार अब्दुल सलाम पुत्र कमालुद्दीन को ख0नं0 44/3 रकबा 5 बीघा भू–आवंटन का आदेश दिया व पटवारी हल्का को कब्जा देने हेतु लिखा गया। इसी आवंटन आदेश के नीचे सब डिवीजनल आफिसर द्वारा दिनांक 9.11.1975 को पटवारी हल्का को यह लिखा कि एतद्द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि श्री अब्दुल सलाम पुत्र कमालुद्दीन जाति मुसलमान ग्राम गंगापुर को भूमि ख0नं0 44/3 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम हिंगोट्या का आवंटन दिनांक 9.11.1975 को कर दिया गया है। अतः आवंटन की एक सप्ताहान्तर्गत नियमानुसार कब्जा दिया जावे और तदनुसार रिपोर्ट तामीली प्रेषित की जावे। इसकी पालना में पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 9.11.1975 को अलोटशुदा आराजी खसरा नम्बर 44/3 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम हिंगोट्या का कब्जा अलोटी अब्दुल सलाम पुत्र कमालुद्दीन जाति मुसलमान निवासी गंगापुर को गवाह घूडया पुत्र रामेत, गूजर निवासी हिंगोट्या व भौरीलाल सरपंच हिंगोट्या के समक्ष संभलाया और इस पर अलोटी के कब्जा प्राप्त करने के हस्ताक्षर है। यह कब्जा रिपोर्ट प्रदर्श–2 है। वादीगण के पति, पिता अब्दुल सलाम पुत्र कमालुद्दीन जाति मुसलमान ग्राम गंगापुर को दिनांक 9.11.1975 को ग्राम हिंगोट्या के खसरा नम्बर 44/3 रकबा 5 बीघा में सब डिवीजनल आफिसर द्वारा किए गए भूमि आवंटन के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि वादीगण ने प्रस्तुत की है जो प्रदर्श–1 है। वादीगण के पति, पिता अब्दुल सलाम को दिनांक 9.11.1975 को हुए भूमि आवंटन भूमि खसरा नम्बर 44/3 रकबा 5 बीघा स्थित ग्राम हिंगोट्या का नामान्तरकरण संख्या 100 दिनांक 9.11.1975 को पटवारी हल्का द्वारा भरा गया जो दिनांक 19.3.1976 को स्वीकार किया गया। इस नामान्तरकरण संख्या 100 दिनांक 19.3.1976 के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 44/3 रकबा 5 बीघा का गैरखातेदारी इन्द्राज भूमि आवंटी अब्दुल सलाम पुत्र कमालुद्दीन जाति मुसलमान के नाम किया गया है। इस नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि वादीगण ने प्रस्तुत की है जो प्रदर्श–4 है। वादीगण की ओर से प्रस्तुत कब्जा देने व लेने की रिपोर्ट दिनांक 9.11.1975 प्रदर्श–2 के अनुसार वादीगण के पति, पिता को आवंटित भूमि खसरा नम्बर 44/3 रकबा 5 बीघा स्थित ग्राम हिंगोट्या का कब्जा दिनांक 9.11.1975 को पटवारी हल्का ने सब

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.05 10:25:38 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी (राज.)

डिविजनल आफिसर के आदेशानुसार गवाह धूकया पुत्र रामेत जाति गूजर निवासी हिंगोटया व श्री गौरीलाल सरपंच हिंगोटया की उपस्थिति में संभलाया है। इस कब्जा रिपोर्ट से भूमि खसरा नम्बर 44/3 रकबा 5 बीघा स्थित ग्राम हिंगोटया पर कब्जा इस भूमि के आवंटी वादीगण के पति, पिता अब्दुल सलाम पुत्र कमालुद्दीन मुसलमान का होना स्पष्ट रूप से प्रमाणित है।

प्रतिवादी लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ने अपने जबाब दावे में भूमि खसरा नम्बर 44 रकबा 27 बीघा 8 बिस्वा में से बटा नम्बर 44/3 रकबा 5 बीघा किस्म सिवायचक का आवंटन वादीगण के पति, पिता अब्दुल सलाम पुत्र कमरूद्दीन जाति मुसलमान के नाम होना व इस आवंटन के आधार पर वादीगण के पति, पिता अब्दुल सलाम पुत्र कमरूद्दीन जाति मुसलमान के नाम नामान्तरकरण संख्या 100 स्वीकार किया है।

इस प्रकार वादीगण की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त वर्णित दस्तावेजात एवं प्रतिवादी लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी की ओर से प्रस्तुत जवाब दावे में वर्णित तथ्य के अनुसार वादीगण के पति, पिता अब्दुल सलाम पुत्र कमालुद्दीन जाति मुसलमान निवासी गंगापुर के नाम भूमि ख0नं0 44/3 रकबा 5 बीघा स्थित ग्राम हिंगोट्या का दिनांक 9.11.1975 को आवंटन होना, दिनांक 9.11.1975 को इस आवंटित भूमि का कब्जा आवंटी अब्दुल सलाम को दिया जाना एवं अब्दुल सलाम को आवंटित भूमि का नामान्तरकरण संख्या 100 दिनांक 19.3.1976 के माध्यम से भूमि आवंटी अब्दुल सलाम के नाम गैरखातेदारी में दर्ज होने का तथ्य स्पष्ट रूप से प्रमाणित है। चूंकि वादीगण की ओर से प्रस्तुत कब्जा रिपोर्ट प्रदर्श–2 के अनुसार भूमि के आवंटी वादीगण के पति, पिता अब्दुल सलाम को उसे आवंटित भूमि ख0नं0 44/3 रकबा 5 बीघा स्थित ग्राम हिंगोट्या का कब्जा दिया जाना स्पष्ट रूप से प्रमाणित है एवं कब्जे के सम्बन्ध में प्रतिवादी लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ने कोई आपत्ती या विरोधाभासी तथ्य अपने जबाब में अंकित नहीं किया है तथा ना ही इस तरह का कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया है जिससे वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के पति, पिता अब्दुल सलाम का कब्जा नहीं रहा हो। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के पति, पिता अब्दुल सलाम का व उसकी मृत्यु के बाद वादीगण का कब्जा माना जावेगा।

फलस्वरूप वादीगण की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त वर्णित दस्तावेजात एवं प्रतिवादी लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी की ओर से प्रस्तुत जबाब दावे में अंकित तथ्यों के आधार पर तनकी वादीगण के पक्ष में स्पष्ट रूप से प्रमाणित है। अतः यह तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.05 10:25:38 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

<u>तनकी नम्बर 2 :—</u> आया भू–प्रबन्ध के दौरान साबिक ख0नं0 44 का नवीन ख0नं0 82 रकबा 3.03 है0 कायम किया गया है एवं इसकी किस्म चारागाह दर्ज कर दी गई है। —वादीगण

इस तनकी को प्रमाणित करने का भार वादीगण पर था। वादीगण की ओर से प्रस्तुत नकल भूमि आवंटन आदेश दिनांक 9.11.1975 के अनुसार वादीगण के पति, पिता अब्दुल सलाम पुत्र कमालुद्दीन जाति मुसलमान को खसरा नम्बर 44/3 रकबा 5 बीघा भूमि आवंटित हुई है। इस आवंटन आदेश में भूमि की किस्म बा03 अंकित की गई है एवं लगान 0.78 दर्ज किया गया है। इसके अनुसार यह प्रमाणित होता है कि वादीगण के पति, पिता अब्दुल सलाम को भूमि आवंटन के समय भूमि की किस्म सिवायचक रही है। वादीगण की ओर से प्रस्तुत नकल नामान्तरकरण संख्या 100 दिनांक 19.3. 1976 प्रदर्श–4 के कालम संख्या 5 में भूमि सिवायचक दर्ज की हुई है। इससे यह भलीभांति प्रमाणित हो जाता है कि वादीगण के पति, पिता अब्दुल सलाम को जब भूमि आवंटित की गई थी उस समय भूमि की किस्म सिवायचक रही है। वादीगण की ओर से प्रस्तुत नकल मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबन्ध विभाग प्रदर्श–6 के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 44 रकबा 27 बीघा 8 बिस्वा से नवीन खसरा नम्बर 82 रकबा 3.03 है0 कायम किया गया है। वादीगण की ओर से प्रस्तुत नकल खतौनी जमाबंदी भू–प्रबन्ध विभाग सम्वत् 2039 खाता संख्या 258 ग्राम हिंगोट्या प्रदर्श–5 के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 82 रकबा 3.03 है0 चारागाह दर्ज की गई है। वादीगण की ओर से प्रस्तुत नकल जमाबंदी सम्वत् 2071–2074 खाता संख्या 398 ग्राम हिंगोट्या प्रदर्श–7 व प्रदर्श–8 के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 82 रकबा 3.03 है0 चारागाह दर्ज है।

इसके अतिरिक्त प्रतिवादी लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ने अपने जबाब दावे में अंकित किया है कि नामान्तरकरण संख्या 82 दिनांक 21. 10.1975 ( सेटलमेंट से पूर्व ) पर श्रीमान् जिलाधीश महोदयके आदेशानुसार खसरा नम्बर 44 रकबा 27 बीघा 8 बिस्वा भूमि किस्म चारागाह से सिवायचक दर्ज की गई। दिनांक 21.10.1975 को जिलाधीश सवाईमाधोपुर के आदेशानुसार नामान्तरकरण संख्या 82 स्वीकार किया गया। ग्राम हिंगोट्या तहसील गंगापुर सिटी में स्थित खसरा नम्बर 44 रकबा 27 बीघा 8 बिस्वा में से बटा नम्बर 44/3 रकबा 5 बीघा किस्म सिवायचक का आवंटन अब्दुल सलाम पुत्र कमरूद्दीन जाति मुसलमान [illegible] ( सेटलमेंट से पूर्व ) नामान्तरकरण संख्या 100 [illegible] की कार्यवाही के पश्चात् खसरा संख्या 44 के नवीन नम्बर 82 रकबा 3.03 है0 किस्म चारागाह

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.05 10:25:38 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

भूमि बने हैं। वर्तमान में भूमि खसरा नम्बर 82 रकबा 3.03 है0 किस्म चारागाह भूमि है।

इस प्रकार वादीगण की ओर से प्रस्तुत नकल भूमि आवंटन आदेश दिनांक 9.11.1975 प्रदर्श–1, नकल नामान्तरकरण संख्या 100 दिनांक 19.3. 1976 प्रदर्श–4 तथा प्रतिवादी लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी की ओर से प्रस्तुत जवाब दावे में अंकित तथ्यों के अनुसार भूमि साबिक खसरा नम्बर 44 रकबा 27 बीघा 8 बिस्वा ग्राम हिंगोट्या का सेटलमेंट में नवीन खसरा नम्बर 82 रकबा 3.03 हैक्टर बनाया जाकर इसे सिवायचक के स्थान पर चारागाह दर्ज कर दिया गया है।

फलस्वरूप वादीगण की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त वर्णित दस्तावेजात एवं प्रतिवादी लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी की ओर से प्रस्तुत जवाब दावे में अंकित तथ्यों के आधार पर तनकी नम्बर 2 वादीगण के पक्ष में स्पष्ट रूप से प्रमाणित है। अतः यह तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

<u>तनकी नम्बर 3:–</u> आया हाल भूमि ख0नं0 82 रकबा 3.03 है0 ग्राम हिंगोटया में अब्दुल सलाम का निरन्तर कब्जा चला आ रहा है एवं दिनांक 12.8.2020 को अब्दुल सलाम की मृत्यु के बाद बतौर वारिसान वादीगण का भूमि ख0नं0 82 रकबा 3.03 है0 में पूर्वी उत्तरी दिशा की ओर की 1.25 है0 भूमि पर कब्जा चला आ रहा है। ——वादीगण

इस तनकी को प्रमाणित करने का भार वादीगण पर था। वादीगण ने नकल भूमि आवंटन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की है। इस आवंटन प्रार्थना पत्र से यह प्रमाणित है कि वादीगण के पति, पिता अब्दुल सलाम पुत्र कमालुद्दीन ने ग्राम हिंगोट्या में स्थित भूमि साबिक खसरा नम्बर 44/3 रकबा 5 बीघा के आवंटन के लिए सब–डिवीजनल आफिसर गंगापुर के समक्ष दिनांक 9.11. 1975 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। वादीगण के पति, पिता के इस आवेदन पर भूमि आवंटन सलाहकार समिति ने सिफारिश की है जिसकी नकल प्रदर्श–3 वादीगण ने प्रस्तुत की है। भूमि आवंटन सलाहकार समिति ने अब्दुल सलाम पुत्र कमालुद्दीन जाति मुसलमान निवासी गंगापुर को आराजी ख0नं0 44/3 रकबा 5 बीघा वाके हिंगोटया आवंटित करने की सिफारिश की है। इस सिफारिश पर आवंटन सला[illegible]मिति के सदस्य सरपंच, विकास अधिकारी, विधायक के [illegible] पृष्ठ भाग पर दिनांक 9.11.1975 को सब–[illegible] ने आवंटन सलाहकार समिति की राय के अनुसार अब्दुल सलाम [illegible] कमालुद्दीन को ख0नं0 44/3 रकबा 5 बीघा भू–आवंटन का आदेश दिया व पटवारी को कब्जा देने

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.05 10:25:38 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

हेतु लिखा गया। इसी आवंटन आदेश के नीचे सब डिवीजनल आफिसर द्वारा दिनांक 9.11.1975 को पटवारी हल्का को यह लिखा कि एतद्द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि श्री अब्दुल सलाम पुत्र कमालुद्दीन जाति मुसलमान ग्राम गंगापुर को भूमि ख0नं0 44/3 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम हिंगोट्या का आवंटन दिनांक 9.11.1975 को कर दिया गया है। अतः आवंटन की एक सप्ताहान्तर्गत नियमानुसार कब्जा दिया जावे और तदनुसार रिपोर्ट तामीली प्रेषित की जावे। इसकी पालना में पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 9.11.1975 को अलोटशुदा आराजी खसरा नम्बर 44/3 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम हिंगोट्या का कब्जा अलोटी अब्दुल सलाम पुत्र कमालुद्दीन जाति मुसलमान निवासी गंगापुर को गवाह घूडया पुत्र रामेत, गूजर निवासी हिंगोट्या व भौरीलाल सरपंच हिंगोट्या के समक्ष संभलाया और इस पर अलोटी के कब्जा प्राप्त करने के हस्ताक्षर है। यह कब्जा रिपोर्ट प्रदर्श–2 है। वादीगण के पति, पिता अब्दुल सलाम पुत्र कमालुद्दीन जाति मुसलमान ग्राम गंगापुर को दिनांक 9.11.1975 को ग्राम हिंगोट्या के खसरा नम्बर 44/3 रकबा 5 बीघा में सब डिवीजनल आफिसर द्वारा किए गए भूमि आवंटन के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि वादीगण ने प्रस्तुत की है जो प्रदर्श–1 है। वादीगण के पति, पिता अब्दुल सलाम को दिनांक 9.11.1975 को हुए भूमि आवंटन भूमि खसरा नम्बर 44/3 रकबा 5 बीघा स्थित ग्राम हिंगोट्या का नामान्तरकरण संख्या 100 दिनांक 9.11.1975 को पटवारी हल्का द्वारा भरा गया जो दिनांक 19.3.1976 को स्वीकार किया गया। इस नामान्तरकरण संख्या 100 दिनांक 19.3.1976 के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 44/3 रकबा 5 बीघा का गैरखातेदारी इन्द्राज भूमि आवंटी अब्दुल सलाम पुत्र कमालुद्दीन जाति मुसलमान के नाम किया गया है। इस नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि वादीगण ने प्रस्तुत की है जो प्रदर्श–4 है। वादीगण की ओर से प्रस्तुत कब्जा देने व लेने की रिपोर्ट दिनांक 9.11.1975 प्रदर्श–2 के अनुसार वादीगण के पति, पिता को आवंटित भूमि खसरा नम्बर 44/3 रकबा 5 बीघा स्थित ग्राम हिंगोट्या का कब्जा दिनांक 9.11.1975 को पटवारी हल्का ने सब डिविजनल आफिसर के आदेशानुसार गवाह घूडया पुत्र रामेत जाति गूजर निवासी हिंगोटया व श्री भौरीलाल सरपंच हिंगोट्या की उपस्थिति में आवंटी अब्दुल सलाम को संभलाया है। इस कब्जा [illegible] भूमि खसरा नम्बर 44/3 रकबा 5 बीघा स्थित ग्राम [illegible] के आवंटी वादीगण के पति, पिता अब्दुल सलाम पुत्र [illegible] मुसलमान का होना स्पष्ट रूप से प्रमाणित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.05 10:25:38 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

प्रतिवादी लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ने अपने जवाब दावे में भूमि खसरा नम्बर 44 रकबा 27 बीघा 8 बिस्वा में से बटा नम्बर 44/3 रकबा 5 बीघा किस्म सिवायचक का आवंटन वादीगण के पति, पिता अब्दुल सलाम पुत्र कमरूद्दीन जाति मुसलमान के नाम होना व इस आवंटन के आधार पर वादीगण के पति, पिता अब्दुल सलाम पुत्र कमरूद्दीन जाति मुसलमान के नाम नामान्तरकरण संख्या 100 स्वीकार किया है।

इस प्रकार वादीगण की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त वर्णित दस्तावेजात एवं प्रतिवादी लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी की ओर से प्रस्तुत जवाब दावे में वर्णित तथ्य के अनुसार वादीगण के पति, पिता अब्दुल सलाम पुत्र कमालुद्दीन जाति मुसलमान निवासी गंगापुर के नाम भूमि ख0नं0 44/3 रकबा 5 बीघा स्थित ग्राम हिंगोट्या का दिनांक 9.11.1975 को आवंटन होना, दिनांक 9.11.1975 को इस आवंटित भूमि का कब्जा आवंटी अब्दुल सलाम को दिया जाना एवं अब्दुल सलाम को आवंटित भूमि का नामान्तरकरण संख्या 100 दिनांक 19.3.1976 के माध्यम से भूमि आवंटी अब्दुल सलाम के नाम गैरखातेदारी में दर्ज होने का तथ्य स्पष्ट रूप से प्रमाणित है। चूंकि वादीगण की ओर से प्रस्तुत कब्जा रिपोर्ट प्रदर्श–2 के अनुसार भूमि के आवंटी वादीगण के पति, पिता अब्दुल सलाम को उसे आवंटित भूमि ख0नं0 44/3 रकबा 5 बीघा स्थित ग्राम हिंगोट्या का कब्जा दिया जाना स्पष्ट रूप से प्रमाणित है एवं कब्जे के सम्बन्ध में प्रतिवादी लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ने कोई आपत्ती या विरोधाभासी तथ्य अपने जवाब में अंकित नहीं किया है तथा ना ही इस तरह का कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया है जिससे वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के पति, पिता अब्दुल सलाम का कब्जा नहीं रहा हो। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के पति, पिता अब्दुल सलाम का व उसकी मृत्यु के बाद वादीगण का कब्जा माना जावेगा।

वादीगण की ओर से प्रस्तुत नकल मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबन्ध विभाग प्रदर्श–6 के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 44 रकबा 27 बीघा 8 विस्वा का नवीन खसरा नम्बर 82 रकबा 3.03 है0 बनाया गया है एवं वादीगण की ओर से प्रस्तुत नकल खतौनी जमाबंदी भू–प्रबन्ध विभाग सम्वत् 2039 खाता संख्या 258 ग्राम हिंगोट्या प्रदर्श–5 , नकल जमाबंदी सम्बत् 2071–2074 खाता संख्या 398 ग्राम हिंगोट्या के अनुसार यह खसरा नम्बर 82 रकबा 3.03 है0 चारागाह दर्ज किया हुआ है। वादीगण की ओर से प्रस्तुत नकल कब्जा रिपोर्ट प्रदर्श–2 के अनुसार वादीगण के पति, पिता को ग्राम हिंगोट्या में आवंटित भूमि साबिक ख0नं0 44/3 रकबा 5 बीघा का कब्जा दिनांक 9.11. 1975 को भूमि आवंटी अब्दुल सलाम को संभलाया गया है, वादीगण द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by: Brijendra Meena
Date: 2025.08.05 10:25:38 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

प्रस्तुत नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–6 के अनुसार खसरा नम्बर 44 से खसरा नम्बर 82 रकबा 3.03 है0 बना है अतः साबिक खसरा नम्बर 44 से बने हाल खसरा नम्बर 82 में वादी अब्दुल सलाम का कब्जा रहा है क्योंकि प्रतिवादी लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ने इस नम्बर में भूमि के आवंटी अब्दुल सलाम का कब्जा नहीं होने सम्बन्धी कोई तथ्य अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में यही माना जावेगा कि वादी अब्दुल सलाम का उसको आवंटित भूमि ख0नं0 44/3 रकबा 5 बीघा पर उसे कब्जा संभलाने की दिनांक 9.11.1975 से निरन्तर कब्जा रहा है एवं भू–प्रबन्ध के दौरान इस नम्बर से जो नवीन नम्बर कायम हुआ है उसमें भी भूमि आवंटी अब्दुल सलाम का निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत फोटोकोपी मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार अब्दुल सलाम की दिनांक 12.8.2020 को मृत्यु हो चुकी है तथा वादीगण मृतक अब्दुल सलाम के वारिस हैं इसलिए अब्दुल सलाम को आवंटित भूमि साबिक खसरा नम्बर 44/3 रकबा 5 बीघा के मूल नम्बर 44 से बने नवीन खसरा नम्बर 82 में 1.25 है0 भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त है। वादीगण की ओर से प्रस्तुत साक्षी पी0डब्लू0 2 बाबूलाल पुत्र सोहनलाल जाति रैगर उम्र 66 वर्ष निवासी मिर्जापुर ढाणीं हिंगोट्या ने मुख्य परीक्षण में प्रस्तुत स्वयं के शपथ पत्र में यह अंकित किया है वह मिर्जापुर का निवासी है व कृषक है। ग्राम हिंगोट्या स्थित 5 बीघा भूमि पर पिछले 49 वर्ष से अधिक समय से अब्दुल सलाम एवं अब्दुल सलाम की मृत्यु के बाद अब्दुल सलाम की पत्नी कौशर निसात एवं पुत्री बीनिश खान व पुत्र दावर सलाम खान का कब्जा काश्त वह देखता चला आ रहा है। इसी प्रकार साक्षी पी0डब्लू0 3 रूकमणी देवी पत्नी बाबूलाल उम्र 70 साल जाति गुर्जर निवासी हिंगोट्या ने मुख्य परीक्षण में प्रस्तुत स्वयं के शपथ पत्र में यह अंकित किया है वह हिंगोट्या की निवासी है व कृषक है। ग्राम हिंगोट्या स्थित 5 बीघा भूमि पर पिछले 49 वर्ष से अधिक समय से अब्दुल सलाम एवं अब्दुल सलाम की मृत्यु के बाद अब्दुल सलाम की पत्नी कौशर निसात एवं पुत्री बीनिश खान व पुत्र दावर सलाम खान का कब्जा काश्त वह देखती चली आ रही है।

वादीगण की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त वर्णित दस्तावेजात एवं प्रतिवादी लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी की ओर से प्रस्तुत जबाव दावे में अंकित तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि भूमि आवंटन की दिनांक 9.11.1975 एवं भूमि पर कब्जा संभलाने की दिनांक 9.11.1975 से मृत्यु पर्यन्त भूमि आवंटी अब्दुल सलाम का एवं अब्दुल सलाम की मृत्यु के बाद उसके वारिसान वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा चला आ रहा है। भूमि आवंटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.05 10:25:38 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

अब्दुल सलाम को आवंटित भूमि पर दिनांक 9.11.1975 को कब्जा दिए जाने के बाद से प्रतिवादी ने ऐसा कोई दस्तावेज/तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि भूमि आवंटी अब्दुल सलाम को या उसके वारिसान वादीगण को वादग्रस्त भूमि से बेदखल कर दिया गया हो। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि पर भूमि आवंटी अब्दुल सलाम का उसे आवंटित भूमि पर कब्जा संभलाने की दिनांक 9.11.1975 से उसकी मृत्यु पर्यन्त तक एवं उसके बाद उसके वारिसान वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर निरन्तर कब्जा माना जावेगा।

फलस्वरूप वादीगण की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त वर्णित दस्तावेजात एवं प्रतिवादी लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी की ओर से प्रस्तुत जबाब दावे में अंकित तथ्यों के आधार पर तनकी नम्बर 3 वादीगण के पक्ष में प्रमाणित है। अतः यह तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

<u>तनकी नम्बर 4:–</u> आया भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा अब्दुल सलाम को आवंटित उपरोक्त 5 बीघा भूमि को भू–प्रबन्ध के दौरान गलत रूप से ख0नं0 82 रकबा 3.03 है0 में शामिल कर चारागाह दर्ज कर दिया है इसलिए अब्दुल सलाम के वारिस होने के नाते वादीगण भूमि ख0नं0 82 रकबा 3.03 है0 ग्राम हिंगोट्या में उनके कब्जे की पूर्वी उत्तरी दिशा की ओर की 1.25 है0 भूमि की खातेदारी घोषणां अपने नाम करवाने व राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती करवाने व प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने के अधिकारी हैं। —वादीगण

इस तनकी को प्रमाणित करने का भार वादीगण पर था। वादीगण की ओर से प्रस्तुत नकल भूमि आवंटन प्रार्थना पत्र अब्दुल सलाम पुत्र कमालुद्दीन जाति मुसलमान बाबत् भूमि ख0नं0 44/3 रकबा 5 बीघा ग्राम हिंगोट्या, इस भूमि आवंटन प्रार्थना पत्र पर की गई पटवारी रिपोर्ट, भूमि आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश प्रदर्श–3, भूमि आवंटन आदेश प्रदर्श–1, आवंटित भूमि का कब्जा देने व लेने की रिपोर्ट प्रदर्श–2 के अनुसार वादीगण के पति, पिता अब्दुल सलाम को ग्राम हिंगोट्या की भूमि ख0नं0 44/3 रकबा 5 बीघा दिनांक 9.11.1975 को आवंटित होना प्रमाणित है। इस आवंटनशुदा भूमि का गैरखातेदारी का इन्द्राज अब्दुल सलाम के नाम नामान्तरकरण संख्या 100 दिनांक 19.3.1976 प्रदर्श–4 से होना प्रमाणित है। नकल मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबन्ध विभाग प्रदर्श–5 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 44/3 से पृथक से कोई नवीन नम्बर कायम नहीं किया गया है बल्कि मूल खसरा नम्बर 44 रकबा 27 बीघा 8 बिस्वा से नवीन खसरा नम्बर 82 रकबा 3.03 है0 कायम किया गया है एवं इस नवीन खसरा नम्बर 82 में

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.05 10:25:38 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स0मा0)

उप जिला कले...
गंगापुर सिटी (स0मा...)

वादीगण के पति, पिता अब्दुल सलाम को आवंटित 5 बीघा भूमि भी शामिल कर दी गई है। यह तथ्य वादीगण की ओर से प्रस्तुत साबिक नक्शा ट्रेस प्रदर्श–10 एवं हाल नक्शा ट्रेस प्रदर्श–9 के अवलोकन से विदित है। वादीगण की ओर से प्रस्तुत नकल नामान्तरकरण संख्या 100 दिनांक 19.3.1976 प्रदर्श–4 के अवलोकन से स्पष्ट है कि भूमि खसरा नम्बर 44 रकबा 27 बीघा 8 विस्वा ग्राम हिंगोटया राजस्थान सरकार के नाम दर्ज रहा है एवं भूमि की किस्म सिवायचक रही है तथा इसी खसरा नम्बर में से अब्दुल सलाम को खसरा नम्बर 44/3 के रूप में 5 बीघा भूमि आवंटन होने पर गैरखातेदारी का नामान्तरकरण अब्दुल सलाम के नाम दर्ज हुआ है। भूमि खसरा नम्बर 44 रकबा 27 बीघा 8 विस्वा नामान्तरकरण संख्या 82 दिनांक 21.10.1975 ( सेटलमेंट से पूर्व ) श्रीमान् जिलाधीश महोदय के आदेशानुसार चारागाह से सिवायचक दर्ज किया गया है, यह तथ्य प्रतिवादी लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ने अपने जबाब दावे में स्पष्ट रूप से अंकित किया है तथा इसी नम्बर में से बटा नम्बर 44/3 रकबा 5 बीघा सिवायचक का आवंटन अब्दुल सलाम के हक में किए जाने का व नामान्तरकरण संख्या 100 द्वारा भूमि अब्दुल सलाम के नाम दर्ज होने का तथ्य भी प्रतिवादी लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ने अपने जबाब दावे में अंकित किया है। इससे यह स्पष्ट है कि वर्तमान खसरा नम्बर 82 का पूर्व खसरा नम्बर 44 सिवायचक दर्ज रहा है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत नकल भू–प्रबन्ध विभाग खतौनी जमाबंदी सं0 2039 खाता संख्या 258 ग्राम हिंगोटया में वर्तमान खसरा नम्बर 82 रकबा 3.03 है0 को चारागाह भूमि के रूप में दर्ज किया गया है जबकि वादीगण द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार वादीगण के पति, पिता को सिवायचक भूमि में से भूमि आवंटन हुआ है जिस पर वादीगण काबिज हैं। भू–प्रबन्ध विभाग को भू–प्रबन्ध के दौरान साबिक अभिलेख के अनुसार ही नवीन अभिलेख तैयार करना चाहिए था। किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना भूमि चारागाह दर्ज करने का भू–प्रबन्ध विभाग को अधिकार नहीं था। इस सम्बन्ध में वादीगण की ओर से प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त 2016–17(सप्ली.) आर0आर0टी0 74 का अवलोकन किया गया। इस न्याय दृष्टान्त में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा महत्वपूर्ण ... के रूप में यह अवधारित किया गया है कि सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना भूमि की किस्म परिवर्तित नहीं की जा सकती है। ... प्रकरण में वादीगण के पति, पिता अब्दुल सलाम को सिवायचक भूमि में से भूमि आवंटित हुई थी एवं तदनुसार भू–प्रबन्ध विभाग को गत अभिलेख के अनुसार अब्दुल सलाम को आवंटित भूमि का पृथक् से नम्बर बनाकर उसे आवंटी अब्दुल सलाम की

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.05 10:45:38 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

गैरखातेदारी में दर्ज करना चाहिए था परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में भू–प्रबन्ध विभाग ने बिना किसी सक्षम आदेश के आवंटी अब्दुल सलाम की भूमि उसके नाम तो दर्ज की ही नहीं बल्कि इसे चारागाह भूमि के रूप में दर्ज कर दिया जो विधि विरूद्ध है। भू–प्रबन्ध अधिकारियों को साबिक अभिलेख के अनुसार ही वर्तमान अभिलेख में प्रविष्टियां की जानी चाहिए थी परन्तु भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा ऐसा नहीं कर दोहरी गलती की है। प्रथम तो भू–प्रबन्ध विभाग ने साबिक अभिलेख के अनुसार वादीगण के पति, पिता के नाम आवंटित भूमि को वादीगण के पति, पिता के नाम दर्ज नहीं किया बल्कि भूमि राजकीय खाते में दर्ज कर दी। दूसरा भू–प्रबन्ध विभाग को साबिक अभिलेख के अनुसार भूमि की किस्म सिवायचक दर्ज करनी चाहिए थी परन्तु भू–प्रबन्ध विभाग ने इसे चारागाह भूमि के रूप में दर्ज कर दिया।

वादीगण की ओर से प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त 2023(1) आर0आर0टी0 44 में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने यह अंकित किया है कि जहां तक सेटलमेंट विभाग का प्रश्न है,यह निर्विवाद है कि कोई भी सेटलमेंट अधिकारी या कर्मचारी बिना किसी सक्षम न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री के राजस्व रिकार्ड की पूर्व प्रविष्टि को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। इसके बाबजूद भी प्रस्तुत प्रकरण में सेटलमेंट विभाग ने बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश व डिक्री के विवादित भूमि को चारागाह में दर्ज कर दिया है जो किसी भी प्रकार विधिसम्मत नहीं है।

इस प्रकार प्रस्तुत न्याय दृष्टान्तों के अवलोकन से एवं वादीगण की ओर से प्रस्तुत अभिलेख व मौखिक साक्ष्य के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि भू–प्रबन्ध विभाग ने साबिक अभिलेख के अनुसार वादीगण के पति, पिता अब्दुल सलाम को आवंटित एवं कब्जेशुदा भूमि साबिक ख0नं0 44/3 रकबा 5 बीघा अब्दुल सलाम के नाम अंकित नहीं कर इसे वर्तमान खसरा नम्बर 82 रकबा 3.03 है0 में शामिल कर चारागाह भूमि के रूप में दर्ज कर दिया है जिसका भू–प्रबन्ध विभाग को कोई अधिकार नहीं था। चूंकि वादीगण मृतक अब्दुल सलाम के वारिसान हैं इसलिए उन्हें वर्तमान भूमि खसरा नम्बर 82 रकबा 3.03 हैक्टर ग्राम हिंगोट्या में उनके कब्जे की भूमि को अभिलेख में अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकार है ... भूमि के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करने हेतु प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.05 10:25:38 IST
Reason: SelfAttested

फलस्वरूप वादीगण की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त वर्णित दस्तावेजात, न्याय दृष्टान्त एवं प्रतिवादी लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी की ओर से प्रस्तुत जवाब दावे में अंकित तथ्यों के आधार पर तनकी नम्बर 4 वादीगण

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स0मा0)

उप जिला कले...
गंगापुर सिटी (सवा...

के पक्ष में प्रमाणित है। अतः यह तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

<u>तनकी नम्बर 5:–</u> अनुतोष ।

तनकी संख्या 1, 2, 3, 4 मे किये गये विस्तृत विवेचन एवं निर्णय के अनुसार ये तनकीयात वादीगण के पक्ष मे निर्णित हुई है।

वादीगण के पति, पिता अब्दुल सलाम को दिनांक 9.11.1975 को ग्राम हिगोटिंया मे भूमि साबिक ख0न0 44/3 रकबा 05 बीघा आंवटित हुई थी। जो भूमि आवंटन आदेश प्रदर्श 1 से स्पष्ट है। इस आवंटित भूमि का कब्जा वादीगण के पति, पिता को दिनांक 09.11.75 को संभलाया गया है जो कब्जा देने व लेने की रिपोर्ट प्रदर्श–2 से स्पष्ट है। वादीगण के पति, पिता को दिनांक 9.11.75 को भूमि ख0न0 44/3 रकबा 5 बीघा के आवंटन का नामातकरण संख्या 100 दिनांक 19.03.1976 आवंटी अब्दुल सलाम के नाम गैरखातेदार के रूप मे दर्ज हुआ है जो नामान्तकरण प्रदर्श–4 से स्पष्ट है। भू–प्रबन्ध के दौरान भूमि ख0न0 44/3 का पृथक से कोई नम्बर नही बनाकर इसके मूल ख0न0 44 रकबा 27 बीघा 8 बिस्वा से नवीन ख0न0 82 रकबा 3.03 है0 कायम किया गया है जो नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–6 से स्पष्ट है। नकल भू–प्रबन्ध खतौनी सम्बत् 2039 खाता संख्या 258 के अनुसार भूमि ख0न0 82 रकबा 3.03 है0, चारागाह के रूप मे भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा दर्ज की गई है जो नकल जमाबंदी प्रदर्श–5 से स्पष्ट है। वर्तमान मे भूमि ख0न0 82 रकबा 3.03 है0, चारागाह के रूप मे दर्ज है जो नकल जमाबंदी सम्बत् 2071–74 खाता संख्या 398 प्रदर्श–7 व प्रदर्श–8 से स्पष्ट है। भू–प्रबन्ध विभाग को भूमि की गत प्रविष्टियो के अनुसार नवीन प्रविष्टियां करने का अधिकार है परन्तु वर्तमान मामले में भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा वादीगण के पति, पिता को आवंटित भूमि ख0न0 44/3 रकबा 5 बीघा पूर्वानुसार गैर खातेदार के रूप मे अब्दुल सलाम के नाम वर्तमान अभिलेख मे अंकित नही की गई है बल्कि इस 5 बीघा भूमि को वर्तमान ख0न0 82 रकबा 3.03 है0 में शामिल करते हुए चारागाह के रूप मे दर्ज कर दिया गया है जो विधि विरूद्ध है। वादीगण, भूमि आवंटी अब्दुल सलाम के वारिस है इसलिए भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा किये गये इस गलत इन्द्राज को सही कराने के अधिकारी है।

लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा भी अपने जबाब दावे में वादीगण के पति, पिता अब्दुल सलाम को खसरा नम्बर 44/3 रकबा 5 बीघा आवंटन होना स्वीकार किया गया है, ख0न0 44/3 के मूल नम्बर 40 को चारागाह से सिवायचक दर्ज [illegible] महोदय द्वारा दिया जाना व इसके आधार पर नामान्तकरण [illegible] दर्ज होना अपने जबाब में अंकित किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.05 10:25:38 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण की ओर से प्रस्तुत [illegible] वर्णित दस्तावेजात, मौखिक साक्ष्य एवं प्रतिवादी लैण्ड होल्डर तहसीलदार [illegible]ापुर सिटी की ओर से

उप जिला कले.,
गंगापुर सिटी (स0मा

प्रस्तुत जवाब दावे में अंकित तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि भूमि आवंटन की दिनांक 9.11.1975 एवं भूमि पर कब्जा संभलाए जाने की दिनांक 9.11.1975 से मृत्यु पर्यन्त भूमि आवंटी अब्दुल सलाम का एवं अब्दुल सलाम की मृत्यु के बाद उसके वारिसान वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा चला आ रहा है। भूमि आवंटी अब्दुल सलाम को आवंटित भूमि पर दिनांक 9.11.1975 को कब्जा दिए जाने के बाद से प्रतिवादी ने ऐसा कोई दस्तावेज/तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि भूमि आवंटी अब्दुल सलाम को या उसके वारिसान वादीगण को वादग्रस्त भूमि से बेदखल कर दिया गया हो। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि पर भूमि आवंटी अब्दुल सलाम का उसे आवंटित भूमि पर कब्जा संभलाने की दिनांक 9.11.1975 से उसकी मृत्यु पर्यन्त तक एवं उसके बाद उसके वारिसान वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर निरन्तर कब्जा माना जावेगा।

चूंकि भूमि ख0नं0 82 रकबा 3.03 है0 ग्राम हिंगोटिया वर्तमान में चारागाह भूमि के रूप में दर्ज है एवं वादीगण ने इस चारागाह भूमि में से खातेदारी प्राप्त करने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है जो स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है क्योंकि चारागाह भूमि धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है। फलस्वरूप वादगण का वाद अस्वीकार किए जाने योग्य है।

## आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण द्वारा खातेदारी में चाही जा रही भूमि ख0नं0 82 रकबा 3.03 है0 ग्राम हिंगोटिया धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि होने के कारण वादीगण का वाद अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30/7/25 को सुनाया गया।

( बृजेन्द्र मीना )
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी।
गंगापुर सिटी (स०मा०)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.05 10:25:38 IST
Reason: SelfAttested

Judi/Civil

Part IV-10

# डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
## (ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी)
## (Civil Proceede Code, Appendix D-1)

अज अदालत उप जिलाकलक्टर मुकाम गंगापुर सिटी

इजलास बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

उनवान

1. कौसर निशात पत्नी स्वर्गीय अब्दुल सलाम निवासी गंगापुर सिटी हाल निवासी 915 रामनगर, शास्त्री नगर, जयपुर 302016
2. बीनिश खान पुत्री स्वर्गीय अब्दुल सलाम निवासी गंगापुर सिटी हाल निवासी 915 रामनगर, शास्त्री नगर, जयपुर 302016
3. दावर सलाम खान पुत्र स्वर्गीय अब्दुल सलाम निवासी गंगापुर सिटी हाल निवासी 915 रामनगर, शास्त्री नगर, जयपुर 302016——वादीगण

बनाम

लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ——प्रतिवादी

दावा बाबत् घोषणां खातेदारी
दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. —95/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री हषवर्धन शर्मा, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई लैण्ड होल्डर के प्रतिनिधि मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण द्वारा खातेदारी में चाही जा रही भूमि ख0नं0 82 रकबा 3.03 है0 ग्राम हिंगोटिया धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि होने के कारण वादीगण का वाद अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 30/7/25 को जारी किया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.05 10:25:38 IST
Reason: SelfAttested

( बृजेन्द्र मीना )
उप जिलाकलक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स०मा०)